

शुक्रवार - 24 नवंबर 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	क्रमांक
--------	------------	---------

7.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 50... को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक... 20.../11/22 को पेश हो।

30.11.22

पत्रावली पेश। वकील अपील को पूर्व पेशी पर हस्ताक्षर दी गई थी। आज्ञापी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील को रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील को अगले तारीख के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ्रैमल सुभार होकर नम्बर दो कम लेकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प सुन्दाय)

